# न्यायालय सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास उर्मिला राजोरिया आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 64/2023/अपील/एलआरएक्ट/बांरा
दायरा दिनांकः 18.12.2023
अन्तर्गत धाराः 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

महेन्द्र कुमार मीना आत्मज साहबलाल जाति मीणा निवासी ग्राम बालून्दा तहसील मांगरोल जिला बांरा।
...अपीलार्थी

बनाम

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार मांगरोल जिला बांरा राज0 ।
... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री गोपाल दत्त शर्मा अभिभाषक –अपीलार्थी
पैरोकार सरकार--रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 24.6.2024

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर बांरा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 05/2023 अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम बउनवान महेन्द्र कुमार बनाम राज0 सरकार जरिये तहसीलदार मांगरोल मे पारित निर्णय दिनांक 25.8.2023 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 अपील के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है, कि परीक्षण न्यायालय तहसीलदार मांगरोल द्वारा दिनांक 27.2.2023 को निर्णय पारित कर ग्राम बमोरीकंला की आराजी खसरा नं0 1800 रकबा 0.32 है0 किस्म चारागाह पर अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर भूमि से बेदखल व राशि 384/–रूपये शास्ति एंव एक माह के सिविल कारावास की सजा से सजायाब किया गया जिसकी अपील अपीलांट द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर बांरा के यहां पेश की गई जो उनके द्वारा दिनांक 25.8.2023 को खारिज की गई। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 25.8.2023 से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे पेश कर वर्णित किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नही दिया कि अपीलार्थी पश्चातवर्ती अतिक्रमी नही है और न ही अपीलांट का कब्जा पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी मे आता है। अपीलांट को न तो नोटिस की तामील की गई और न ही अपीलांट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त किये बिना पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानने मे त्रुटि की है। उक्त आराजी पर अपीलांट का वर्तमान मे कोई कब्जा नही है पूर्व मे भी कोई कब्जा नही था। अपीलांट ने आराजी पर से कब्जा छोड दिया है। इस हेतु एक प्रार्थना पत्र तह0मांगरोल को पेश किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट आने के बाद यह पता चल सकेगा कि आराजी पर अपीलांट का कब्जा नही है। अतः अपील स्वीकार की जाकर हर दो निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने का अनुतोष चाहा गया।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराया तथा कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नही दिया कि अपीलार्थी पश्चातवर्ती अतिक्रमी नही है और न ही अपीलांट का कब्जा पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी मे आता है। अपीलांट को न तो नोटिस की तामील की गई और न ही अपीलांट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय नैसर्गिक

संभागीय आयुक्त

न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत है। प्रकरण मे किसी भी स्वतंत्र गवाह या पडौसी काश्तकारों के बयान लेखबद्ध नही है अतः साक्ष्य के अभाव मे अपीलांट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना प्रमाणित नही होता है। तहसीलदार मांगरोल ने अधिकार से परे जाकर निर्णय पारित किया है। बहस मे आगे यह भी बताया कि उक्त आराजी पर अपीलांट का वर्तमान मे कोई कब्जा नही है पूर्व मे भी कोई कब्जा नही था। अपीलांट ने आराजी पर से कब्जा छोड दिया है। अंत मे अपील स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4 पैरोकार सरकार ने अपनी बहस मे निर्णय हरदो अधीनस्थ न्यायालय न्यायोचित होना जाहिर करते हुये अपील खारिज करने का अनुरोध किया।

5 हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एंव पैरोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एंव आलौच्य हरदो निर्णय अधीनस्थ न्यायालय के अवलोकन से प्रकट होता है कि तहसीलदार मांगरोल ने निर्णय दिनांक 27.2.2023 को ग्राम बमोरी कंला की आराजी खसरा नं0 1800 रकबा 0.32 है0 किस्म चारागाह पर अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर भूमि से बेदखल व राशि 384/—रूपये शास्ति एंव एक माह के सिविल कारावास की सजा से सजायाब किया गया जिसकी प्रथम अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत अपीलांट द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर बांरा मे पेश की गई जिसे न्यायालय जिला कलक्टर बांरा ने निर्णय दिनांक 25.8.2023 से खारिज किया गया।

6 अपील प्रकरण मे विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी का मुख्य तर्क रहा है कि अपीलार्थी पश्चातवर्ती अतिक्रमी नही है और न ही अपीलांट का कब्जा पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी मे आता है। अपीलांट को न तो नोटिस की तामील की गई और न ही अपीलांट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत है। प्रकरण मे किसी भी स्वतंत्र गवाह या पडौसी काश्तकारों के बयान लेखबद्ध नही है अतः साक्ष्य के अभाव मे अपीलांट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना प्रमाणित नही होता है उक्त तथ्यों का अवलोकन किये बिना अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 25.8.2023 को निर्णय पारित कर अपील खारिज करने मे त्रुटि की है। अपीलांट्स के उपरोक्त तर्क के परिपेक्ष्य मे पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख से प्रकट होता है कि वादग्रस्त अतिक्रमित आराजी किस्म चारागाह है जो पशुओ के चराई के लिये काम आती है तथा ऐसी चारागाह भूमि राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत प्रतिबधित भूमि की श्रेणी मे आती है एंव ऐसी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त रखा जाना जनहित मे नितांत आवश्यक है। वादग्रस्त आराजी पर पूर्व मे भी अतिक्रमण करने पर परीक्षण न्यायालय के प्रकरण सं0 153/21 मे पारित निर्णय दिनांक 19.2.2021 से अपीलार्थी को बेदखल किया गया है ऐसी स्थिति मे पश्चातवर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर ही परीक्षण न्यायालय ने अपीलांट को सजायाब किया है। इस तथ्य की पुष्टि पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख से होती है। जहां तक कब्जा छोडने तथा वर्तमान मे वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नही होने का अपीलार्थी का कथन है अपीलांट द्वारा कब्जा छोडने के संबध मे कोई साक्ष्य सबूत अथवा आधार अभिलेख अधीनस्थ/परीक्षण न्यायालय के समक्ष अथवा हस्तगत अपील प्रकरण मे प्रस्तुत नही किये है। ऐसी स्थिति मे समुचित आधार अभिलेख के अभाव मे हस्तगत अपील प्रकरण मे अपीलांट कोई विधिक अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है लिहाजा उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे हम अधीनस्थ न्यायालय के आलौच्य जेरअपील निर्णय दिनांक 25.8.2023 मे किसी प्रकार का विधिक एंव तथ्यात्मक दोष नही पाते है। फलत् अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

7 परिणाम स्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट बलहीन होने से खारिज की जाती है।

8 निर्णय आज दिनांक 24.6..2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(उर्मिला राजोरिया)
संभागीय आयुक्त
कोटा

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा